

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-02/वरीयता-09-03/08

राँची, दिनांक:-

शुद्धि पत्र

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश सं० 1978 दिनांक 02.04.2013 द्वारा निर्गत विभाग राज्य अभियंत्रण सेवा के पदधारकों के अन्तिम वरीयता सूची में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं० W.P.(S).-3143/13 आनन्द कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 30.10.13 को पारित न्याय निर्णय तथा विभागीय तार्किक आदेश सं० 1020 दिनांक 06.02.14 के आलोक में उक्त वरीयता सूची में निम्नांकित संशोधन किया जाता है।

वरीयता क्र०	I.D	नाम	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि	गृह जिला	सीधी नियुक्ति / प्रोन्नति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
762	3908	श्री जय प्रकाश चौधरी		04.05.1963	31.05.23	खगड़िया	सीधी नियुक्ति	
763	3954	श्री आनन्द कुमार		06.01.1965	31.01.25	गया	सीधी नियुक्ति	
764	3915	श्री राजकुमार यादव		04.01.1963	31.01.23	पलामू	सीधी नियुक्ति	
765	3919	श्री ललन कुमार		06.05.1966	31.05.26	खगड़िया	सीधी नियुक्ति	
766	3921	श्री अनिल कुमार मण्डल		05.02.1963	28.02.23	देवघर	सीधी नियुक्ति	
767	3925	श्री राजेन्द्र प्रसाद		06.12.1963	31.12.23	गया	सीधी नियुक्ति	
768	3930	श्री हेमन्त कुमार लोहानी		01.06.1965	31.05.25	गया	सीधी नियुक्ति	
769	3933	श्री देवेन्द्र प्रसाद		02.01.62	31.01.22	मुंगेर	सीधी नियुक्ति	
770	3940	श्री संजय कुमार		15.01.1965	31.01.25	रोहतास	सीधी नियुक्ति	
771	3944	श्री शिव कुमार		14.01.1966	31.01.26	पटना	सीधी नियुक्ति	
772	3946	श्री दिलीप कुमार सिंह		02.06.1963	30.06.23	पटना	सीधी नियुक्ति	

2. आदेश सं० 1978 दिनांक 02.04.13 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।
3. उक्त शुद्धि पत्र की प्रति सभी सहायक अभियंता को अग्रसारित किया जाय।

ह०/-
(सीता कान्त झा)
संयुक्त सचिव (प्र०)

क०प०उ०

ज्ञापांक :-

1087

रॉची, दिनांक :- 7-2-14

प्रतिलिपि :-माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/माननीया मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड रॉची/सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन (लघु सिंचाई सहित) विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/सभी संबंधित सहायक अभियंता/सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब, 7यो, एवं 8ए, 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सीता कान्त झा)
संयुक्त सचिव (प्र.)

7/2/14